न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 36 / 2020 (2020 / 00085)

प्रार्थी

जितेन्द्र पुत्र देवाराम जी जाति जाट निवासी ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर (राज0)।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सनुदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम रोहट जिला पाली (राज0)।
2. मंगलाराम पुत्र जोधाराम जाति पटेल निवासी ग्राम लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर (राज0)।
3. ग्राम पंचायत लूणी जरिये ग्राम सेवक लूणी जिला जोधपुर (राज0)।

उपस्थिति

1. श्री राजाराम चौधरी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री मोतीसिंह अधिवक्ता (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01)
3. अप्रार्थी संख्या 02 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश दिनांक :–13.09.2021

प्रार्थी द्वारा यह पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ग्राम पंचायत लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–12–2019 अन्तर्गत पटटा संख्या 79 मिसल संख्या 343 के विरुद्ध पेश की गई है, निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्याा 01 के अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया व अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान् की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जितेन्द्र द्वारा उपरोक्त निगरानी ग्राम पंचायत लूणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 79 मिसल संख्या 343 दिनांक 05–12–2019 के विरूद्ध मय तथ्यों के साथ पेश गई कि पट्टे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:00 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित जायदाद उसके दादा विशनारामजी के हकूक की है एवं उनके देहान्त के पूर्व ही बड़े पुत्र भंवरलाल अपना हक हिस्सा लेकर अलग हो गये तथा रोहट में निवास करने लग गये, विशनारामजी के देहान्त के बाद प्रार्थी के पिता देवाराम उपरोक्त जायदाद पर निरन्तर काबिज रहे। भंवरलाल द्वारा अनेक बार जायदाद की भूमि को हड़पने बाबत लडाई झगड़ा किया व वर्ष 2019 में बंटवाड़ा हेतु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जोधपुर महानगर न्यायालय में मूल वाद संख्या 196/2019 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25–11–2019 को मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया, स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए भंवरलाल ने षड़यंत्रपूर्वक ग्राम पंचायत के साथ सांठ गांठ करते हुए विवादग्रस्त जायदाद का पट्‌टा दिनांक 05–12–2019 को जारी करवा दिया व उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जायदाद का बेचाननामा रजिस्टर्ड करवा दिया। प्रार्थी ने यह आधार भी प्रकट किया कि पट्‌टा नियमों की पालना किये बगैर जारी किया है, ग्राम पंचायत को पट्‌टा जारी करने का अधिकार नहीं था व स्वयं भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत वाद मे स्थगन आदेश जारी किया हुआ था, उसके बावजूद पट्‌टा जारी किया गया। विवादित जायदाद प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी जायदाद है जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है। अन्त में निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार करते हुए निगरानीधीन पट्‌टा निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्‌टा अप्रार्थी के हक मे जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05–12–2019 के द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है जो पट्‌टा उप पंजीयक लूणी के कार्यालय में दिनांक 17–01–2020 को रजिस्टर्ड है तत्पश्चात् अप्रार्थी पट्‌टा होल्डर द्वारा दिनांक 11–09–2020 को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड के विवादित पट्‌टे की जायदाद का बेचान मंगलाराम के हक में किया जा चुका है। वादग्रस्त जायदाद का पूर्व में कोई पट्‌टा विशनाराम के नाम जारी नहीं है। जायदाद श्री केसरीमल जैन के पुत्रों से सन 1961 मे खरीद की गई थी एवं बंटवाड़े का विवाद होने पर भंवरलाल द्वारा देवाराम के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद पेश किया था जो दौरान विचारण लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने पर विड्रो कर लिया गया। विवादित जायदाद में जो भंवरलाल का हिस्सा निहित था वो मौके पर दोनों भाईयों ने अलग कर लिया व रजामंदी से बंटवाड़ा कर लिया, तत्पश्चात् नियम 157 के प्रावधानों के तहत भंवरल[illegible]सकी पत्नी श्रीमती सनुदेवी के हक में ग्राम पंचायत लूणी द्वारा पट्‌टा जारी किया गया जिसमें प्रार्थी का कोई हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:00 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा नहीं है। सम्पूर्ण जायदाद में आधा हिस्सा देवाराम का अलग किया हुआ है एवं शेष आधा हिस्सा जो भंवरलाल के हक में आया उसका पट्टा संख्या 79 व 73 ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी जितेन्द्र का हक हिस्सा देवाराम के कब्जे व हक की जायदाद में हो सकता है क्योंकि वह देवाराम का पुत्र है। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 196 / 2019 का राजीनामा न्यायालय से बाहर हो जाने पर वाद विड्रो कर लिया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी के हक हिस्से की जायदाद में कोई क्लेम करने का अधिकार नहीं है इसलिये प्रार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं हो सकता। जायदाद का बंटवाडा दोनों भाईयों के मध्य जरिये राजीनामा हो चुका एवं दोनों भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज हो चुके है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की अवैधानिकता व प्रक्रिया की त्रुटि कारित नहीं की है, प्रार्थी ने बेवजह दोनों भाईयों के मध्य राजीनामे से निस्तारित हो चुके विवाद को पुनः पैदा करने की नीयत से यह निगरानी पेश की है। यदि प्रार्थी अपना पैतृक हक बता रहा है तो उसका निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही हो सकता है, जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा रजिस्टर्ड दस्तावेज है एवं पट्टा जारी होने के पश्चात भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से श्री मंगलाराम व कानाराम के पक्ष में निष्पादित हो चुका है। विक्रय विलेख एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे धारा 97 के तहत निगरानी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अन्त में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि निगरानी खारिज फरमाई जावे। अप्रार्थी ने अपनी बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2016 सुप्रिम कोर्ट पेज 4995, 2011 (4) सीसीसी पेज 86, 2013 (4) आरएलडब्ल्यू पेज 3341, 2016 (1) सीसीसी पेज 476, 2016(1) सीसीसी पेज 504, सीडब्ल्यू 5648 2004 रामचन्द्र बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसएडब्ल्यू 899 / 17 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम रामचन्द्र वगैरह एवं डब्ल्यूसीपी 2973 / 2016 कुसुमलता बनाम स्टेट ऑफ यू पी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने का मुख्य आधार वादग्रस्त जायदाद में उसका पैतृक हक निहित होना एवं न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में है जबकि अप्रार्थी की प्रतिरक्षा है कि जायदाद के दोनों हिस्सेदारों में रजामंदी से बंटवाड़ा हो जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:00 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात् बंटवाड़े सम्बन्धी विवाद का निस्तारण हो चुका है एवं न्यायालय में कोई मुकदमा व स्थगन आदेश लम्बित नहीं है। अप्रार्थी की यह भी प्रतिरक्षा है कि पट्टा जारी होने के पश्चात् उप पंजीयक लूणी के कार्यालय में रजिस्टर्ड किया गया एवं तत्पश्चात् जरिये विक्रय विलेख के पट्टे में वर्णित भूमि का अन्तरण तृतीय पक्ष को किया जाकर उक्त विक्रय विलेख भी उप पंजीयक के कार्यालय में रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इस न्यायालय का विनम्र मत है कि धारा 97 के तहत निगरानी न्यायालय को ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधानिकता व उसमें प्रक्रियात्मक त्रुटि का परीक्षण करना होता है, पक्षकारों के सिविल अधिकारों का विनिश्चय निगरानी की कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना है।

पंचायत के अभिलेख अनुसार अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् पंचायत राज नियमों की प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दर्ज की गई एवं मौका निरीक्षण के लिये कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आपति सूचना आमंत्रित की गई एवं कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होने के पश्चात् पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत अप्रार्थी के नाम भूमि का नियमन कर पट्टा जारी करने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक से अनुमोदित है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा प्रक्रिया की कोई त्रुटि जैर निगरानी कार्यवाही में कारित नहीं की गई है। जहां तक न्यायालय के स्थगन आदेश का सम्बन्ध है उक्त स्थगन मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी किया गया था परन्तु तत्पश्चात् वाद के पक्षकारान का न्यायालय के बाहर समझौता हो जाने पर मूल वाद ही जरिये विड्रोवल खारिज हो चुका है। प्रार्थी के पैतृक हकूक निहित होने के सम्बन्ध में लिये गये आधारों पर इस न्यायालय का विनिश्चय है कि निगरानी के माध्यम से प्रार्थी के सिविल अधिकारों का निर्णय नहीं हो सकता तथापि यदि प्रार्थी अपना कोई अधिकार निहित होना जाहिर करता है तो भी उसका हक अपने पिता के हिस्से में प्राप्त जायदाद तक निहित हो सकता है। अप्रार्थी को प्राप्त जायदाद में प्रार्थी का हक किसी प्रकार से निहित नहीं हो सकता, तथापि प्रार्थी सक्षम सिविल न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाकर जैर निगरानी पट्टा जा[illegible] है उसमें विधिक प्रक्रिया की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है एवं पट्टा जारी [illegible] के पश्चात् जायदाद का अन्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:00 IST
Reason: SelfAttested

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा तृतीय पक्ष के हक में किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यदि प्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से व्यथित है तो उसे नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति के साथ प्राप्त मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत लूणी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:00 IST
Reason: SelfAttested